झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या : 9/RCH-469/2011- 191 (HSN) दिनांक : 16.12.2011

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के गठन के संबंध मे।

विशेष सचिव एवं अभियान निदेशक (एन.आर.एच.एम.), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नई दिल्ली के पत्रांक–Z.18015/8/2011-NRHM-II के आलोक मे ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का गठन किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मे गठित स्वास्थ्य समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। अब ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के गठन की प्रक्रिया एवं स्वरूप निम्नवत होगा :–

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के गठन की प्रक्रिया :–

(क) झारखण्ड राज्य में पचायती राज संस्थानो के गठन के पश्चात् झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम के तहत् ग्राम सभा का आयोजन प्रत्येक राजस्व गांव मे किया जाएगा।

I. ग्रम सभा का अर्थ उस ग्राम के 18 वर्ष के या उससे अधिक के सभी ब्यस्कों से है जिनका नाम मतदाता सूची मे हों।

II. गैर अनुसूचित क्षेत्र से ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया करेंगे।

III. अनुसूचित क्षेत्र मे ग्राम सभी की बैठक की अध्यक्षता ग्रम के परम्परागत प्रधान, मुखिया महतो, मानकी अथवा पाहन करेंगे।

IV. गैर अनुसूचित क्षेत्र में बैठक हेतु कोरम ग्राम सभा का 10 प्रतिशत है, जिसमें कम से कम 1/3 महिलाएं हो।

V. अनुसूचित क्षेत्रों को कोरम 1/3 होगा, जिसमें 1/3 महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

VI. दोनो मामलों मे VHSNC के लिए आयोजित की जाने वाली बैठक बुलाने की जिम्मेवारी, यथा नोटिस निर्गत करना, बैठक की कार्यवाही आदि सभी मुखिया की होगी।

VII. बैठक की सूचना कम–से–कम एक सप्ताह पूर्व देनी होगी।

VIII. ग्राम सभा की बैठक मे VHSNC के सदस्यों के चुनाव के लिए बैठक में ग्राम सभा सदस्यों से नाम मांगे जाएंगे। एक से ज्यादा प्रस्ताव आने की स्थिति मे, हाथ उठाके वोटिंग की जाएगी एवं बहुमत के आधार पर चुनाव होगा।

IX. कार्यवाही की प्रति प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दी जाएगी।

(ख) VHSNC की बैठक प्रत्येक महीने की जाएगी।

(ग) पूर्व मे गठित ग्राम स्वास्थ्य समिति के बैंक खाते को ही संचालित किया जाएगा। समिति के नाम मे परिवर्तन एवं बैंक खाता संचालकों से संबंधित प्रस्ताव संबंधित बैंक को दिया जाएगा।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का स्वरूप :

1. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में 11 से 21 सदस्य होंगे, जिसमे अनिवार्यतः आधे से अधिक संख्या महिलाओं की होगी।
2. संबंधित गाँव के सभी टोलो, जाति एवं सभी आयु वर्ग का यथा संभव प्रतिनिधित्व आवश्यक होगा।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति (यदि उक्त जाति गाँव मे निवास करती हो) का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
4. उस गाँव से संबंधित सभी पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधि इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
5. अनुसूचित क्षेत्रों मे ग्राम प्रधान इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
6. संबंधित सभी राजस्व गाँव की सहिया समिति की सदस्य होंगी।
7. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 185, दिनांक 24–08–11 के आलोक मे गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की कार्यकारी सदस्य सह कोषाध्यक्ष (जल सहिया) इस समिति की पदेन सदस्य होगी। संबंधित राजस्व गाँव के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों मे गठित माता समिति की अध्यक्ष इस समिति की पदेन सदस्य होगी।
8. ग्राम सभा द्वारा समिति के गठन के उपरांत बैठक में पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। तीन पदाधिकारियों में से दो अनिवार्यतः महिला होगी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की सचिव उस गाँव की सहिया होगी (एक से अधिक सहिया होने पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति सक्रियता, वरीयता एवं योग्यता के आधार पर निर्णय करेगी)
9. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का स्वरूप इस प्रकार होगा –

I.	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा बहुमत से चयनित	:	अध्यक्ष
II.	सहिया	:	सचिव
III.	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा बहुमत से चयनित	:	कोषाध्यक्ष
IV.	गाँव के सभी पंचायती राज जन प्रतिनिधि (जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य यदि उस गाँव के निवासी हों)	:	सदस्य
V.	गाँव के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों मे गठित माता समिति के अध्यक्ष	:	सदस्य
VI.	जल सहिया	:	सदस्य
VII.	गाँव मे गठित महिला बचत साख समूह प्रतिनिधि	:	सदस्य
VIII.	साक्षरताकर्मी	:	सदस्य
IX.	अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत ग्राम प्रधान	:	सदस्य
X.	शेष सदस्य ग्राम सभी के द्वारा चयनित किए जाएंगे ।		
XI.	सभी आंगनवाड़ी सेविका	:	सदस्य
XII.	संबंधित ANM	:	आमंत्रित सदस्य

101(HSN)
16.12.11

10. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति ग्राम पंचायत की स्थायी समिति होगी एवं पंचायत तथा प्रखण्ड/जिला मे गठित संबंधित विषयों की स्थायी समितियों के प्रति पूर्णतः जवाबदेह होगी एवं समय–समय पर इनके द्वारा बुलाये गये समन्वय बैठकों मे उपस्थित होकर इनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगी।
11. हर तीन माह ग्राम सभी की बैठक मे समिति अपने क्रियाकलाप एवं आय–व्यय का हिसाब अनिवार्यतः रखेगी एवं नीतिगत निर्णय हेतु स्वीकृति प्राप्त करेगी।
12. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों मे ग्राम सभा के किसी भी सदस्य के भाग लेने की स्वतंत्रता होगी पर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं हो पाने पर वोटिंग की स्थिति में वह भाग नही ले सकेगा।
13. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का कार्यकाल पंचायती राज संस्थानो के कार्यकाल के समकक्ष होगा पर विशेष परिस्थिति में ग्राम सभा इसके कुछ सदस्यों को हटाने या उसमें शामिल करने मे सक्षम होगा।
14. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का बैंक खाता पूर्व में संचालित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का बैंक खाता ही होगा। इसका संचालन ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव (सहिया) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का कार्य :–

1. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति समुदाय के समग्र स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है।
2. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और स्थिति का आकलन सहभागी होकर करेगी। समिति के सभी सदस्य, ए.एन.एम. और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं सर्वेक्षण आदि मे सहयोग करेंगे।
3. उपरोक्त आंकलन के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति अपने–अपने गांव/टोले के लिए किस स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देना है एवं उसके संबंध में ए.एन.एम. और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता से बातचीत कर विस्तृत ग्राम स्वास्थ्य योजना बनायेगी।
4. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाने, स्वास्थ्य संबंधी सूचना/जानकारी देने तथा स्वास्थ्य सेवाओं के मांग बढ़ाने की दिशा मे कार्य करेगी। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने तथा प्रयोग करने के लिए समुदाय को प्रेरित करेगी तथा समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए यह सुनिश्चित करेगी।
5. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे मलेरिया और पानी से उत्पन्न होने वाले रोगों को स्वयं जानेंगे एवं उससे बचाव के बारे मे समुदाय के बीच इसका प्रचार–प्रसार भी करेंगे।
6. स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें सेवाओं की गुणवत्ता एवं ससमय अनुपालन संबंधी
7. पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करेंगें।
8. स्वास्थ्य कोष के लिए राशि जमा करने एवं उसके प्रबंधन की व्यवस्था।
9. राष्ट्रीय तथा राज्य कार्यक्रम–प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षय रोग, अंधापन नियंत्रण, कुष्ठ, एड्स नियंत्रण, नियमित प्रतिरक्षण आदि की जानकारी समुदाय को उपलब्ध कराना

191 (HSN)
16.12.11

तथा इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन के लिए समन्वयन स्थापित करना एवं निगरानी रखना।

10. सार्वजनिक कुंओं, तालाबों, हैंडपम्प (चापाकलों) इत्यादि का निर्माण, मरम्मत एवं रख–रखाव घर का कूड़ा–कचड़ा इक्ट्ठा करने के लिए गांव के किनारे स्थान का चयन करना एवं लोगों को उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना जरूरत पड़ने पर उदाहरण भी प्रस्तुत करना।
11. महिलाओं के सशक्तिकरण, लिंग भेद समाप्त करने एवं महिला उत्पीड़न, किशोरियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता लाना एवं उन पर सकारात्मक रूप से भूमिका अदा करना।
12. सरकारी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/डिस्पेन्सरी की देखभाल कर ए.एन.एम./डॉक्टरों से समन्वयन मे अस्पताल प्रबंधन समिति को सहयोग देना।
13. आवश्यकता पड़ने पर जल्दी और गुणवत्तापूर्ण सेवा समुदाय को मिले इसके लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति को सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, स्वयंसेवी संस्था/सामाजिक कार्यकर्त्ता और सहिया से सम्पर्क बनाये रखना।
14. नवीनतम तकनीक एवं विधि जो ग्रामीणों के व्यवहार एवं संस्कृति से मेल खाती हो उसको बढ़ावा देना।
15. सामाजिक कुरीतियों के विरोध मे जनमत तैयार करना, जागृति लाना एवं इसके लिए लोक नाटक/नुक्कड़ नाटक और व्यक्तिगत संवाद करना। ग्रामीणों को स्वस्थ रहने के लिए परिवारिक स्तर ही रोग निरोधी उपाय व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करना।
16. गाँवो, टोलों एवं प्रत्येक घर में पोषण वाटिका लगाना जिसमें ऐसे पौधों लगायें जिनसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलते हैं बढ़ावा देना।
17. पोषण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता फैलाना एवं पोषण को स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप मे स्थापित करने के रूप मे सहयोग करना।
18. गाँवो में पोषण स्थिति एवं कूपोषण के संबंध में सर्वेक्षण संपादित करना (खास कर महिलाओं और बच्चों)।
19. स्थानीय उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों की पहचान करना एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करना।
20. स्थानीय लोक ज्ञान जो पोषण में सहायक हों की पहचान कर उसके प्रचार–प्रसार में सहयोग करना।
21. ग्राम स्वास्थ्य योजना निर्माण मे पोषण की आवश्यकताओं को शामिल करना एवं कुपोषण के संभावित संबंधित कारणों की आंगनवाड़ी सेविका, सहिया एवं महिला बचत साख समूह के सहयोग से पहचान करना एवं उनके निदान के लिए प्रयास करना।
22. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना एवं इसके आयोजन की पूर्ण जिम्मेवारी का वहन करना जिससे समुदाय के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी हो सके।
23. आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करना एवं बच्चों तथा माताओं की पोषण स्तर मे सुधार के कार्य मे सहायता प्रदान करना।
24. कुपोषित बच्चों को चिकित्सिय सहायता एवं पोषाहार उपलब्ध कराने एवं उन्हें स–समय निकटतम कुपोषण उपचार केन्द्र/पोषण पुनर्वास केन्द्र में रेफर करने मे सहयोग प्रदान करना।
25. स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों पर शिकायत निपटारा फोरम के रूप मे कार्य संपादित करना।

191(HSN)
16.12.11

26. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुपालन के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति पूर्णतः जिम्मेवार होगी।

आदेश: ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के गठन हेतु ग्राम सभा वार बैठक तिथि निर्धारण जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा एवं इस कार्य में ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं सहिया संसाधन केन्द्र (झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसायटी, नामकुम, राँची) से संबंधित राज्य प्रशिक्षक दल सदस्य, प्रखण्ड प्रशिक्षक दल सदस्य एवं सहिया साथी परामर्शी का कार्य करेंगे एवं इस प्रक्रिया को एक माह में सम्पन्न कर ग्राम सभा प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौंपेंगे।

प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी बैंकों को इस नये नामकरण एवं पदाधिकारी की सूची अपने हस्ताक्षर से उपलब्ध करवाएंगे ताकि पूर्व से संचालित ग्राम स्वास्थ्य समिति के खाते नये नाम से संचालित किए जा सकें एवं कार्य में कोई बाधा न हो।

16/12

(सरकार के प्रधान सचिव)

ज्ञापांक : 191 (HSN) **दिनांक :** 16.12.2011

प्रतिलिपि :

1. सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार।
3. सचिव, पंचायती राज्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
4. सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
6. आयुक्त, आदिवासी कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
7. सभी उपायुक्त, झारखण्ड सरकार।

16/12

(सरकार के प्रधान सचिव)